न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः– 13 / 2021 तारीख रजू 28.06.2021

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. गोपाल लाल शर्मा पुत्र श्री राधामोहन शर्मा (एबीओ व मालिक) फर्म–श्री गणेश सुपर मार्केट, प्लॉट नं. 22, मीना कॉलोनी गेट के पास, दौसा रोड, मानटाउन सवाई माधोपुर निवासी– मकान नं0 172, महाराणा प्रताप कॉलोनी, बजरिया, सवाई माधोपुर।
2. लोकेश अवस्थी पुत्र श्री विपिन बिहारी अवस्थी (Merchandise Manager व नोमिनी) फर्म–Best Price Modern Wholesale, Wal Mart India Pvt. Ltd A-82, Indraprastha Industrial Area, Jhalawar Road, Kota (Rajasthan)-324005 निवासी सी–64 पटेल नगर, रायसेन रोड, हुजुर भेल, भोपाल (मध्यप्रदेश)–462022
3. फर्म–Best Price Modern Wholesale, Wal Mart India Pvt. Ltd A-82, Indraprastha Industrial Area, Jhalawar Road, Kota (Rajasthan)-324005 - जरिये नोमिनी
4. फर्म–Wal Mart India Pvt. Ltd E-20, 1st & 2nd Floor, Hauz Khas Main Market New Delhi-110016, South Delhi-110016 - जरिये नोमिनी
5. Kamal Kumar Rajani Products, G-300, Indraprastha Industrial Area, Road No. 06, Kota. (Rajasthan)-324005 Jhalawar Road, Kota (Rajasthan)-324005 निवासी–20 ext. Sofiya ke Samne, Vallabh Nagar, New Grain Mandi, Ladpura, Kota-324007
6. फर्म–Rajani Products, G-300, Indraprastha Industrial Area, Road No. 06, Kota. (Rajasthan)-324005- जरिये नोमिनी।

..... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 04.09.2024**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेम चन्द जैन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 26.08.2020 को लगभग 02.00 पी.एम. पर दौराने गस्त फर्म– श्री गणेश सुपर मार्केट, प्लाट नं. 22, मीना कॉलोनी गेट के पास, दौसा रोड, मानटाउन सवाई माधोपुर पर श्री गजानन्द लोधा वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के साथ निरीक्षण हेतु पहुंचा। वहां पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम गोपाल लाल शर्मा पुत्र श्री राधामोहन शर्मा बताया तथा स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। आवेदक ने गोपाल लाल शर्मा को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। गोपाल लाल शर्मा अपनी फर्म पर घी, तेल, चाय, चीनी, वनस्पति व अन्य

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

खाद्य सामग्री आमजन को विक्रय करता है। आवेदक ने गोपाल लाल शर्मा से फर्म का वर्ष 2020 का खाद्यपदार्थ लाईसेन्स एवं स्वयं का फोटो पहचान पत्र दिखाने को कहा तो उसने अपनी फर्म का खाद्य पदार्थ लाईसेन्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व स्वयं का फोटो पहचान पत्र आवेदक को दिखाया तथा उनकी एक–एक स्वप्रमाणित प्रति आवेदक को दी। आवेदक द्वारा निरीक्षण के समय फर्म के विक्रय परिसर में एक लोहे की रैक में आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुयी खाद्य वस्तु **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल (स्वास्तिक ब्राण्ड) 1 लीटर पैक** की 13 बोटलों का निरीक्षण करने पर उनमें मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता व फर्म मालिक गोपाल लाल शर्मा से उक्त खाद्य वस्तु **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल (स्वास्तिक ब्राण्ड) 1 लीटर पैक** की बोटलों में से शुद्धता व लेबल की जांच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये। आवेदक ने फर्म के विक्रय परिसर में एक रैक में रखी हुयी शुद्धता व लेबल की जांच हेतु नमूना लेने बाबत खरीदी जिनकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 632/– रूपये अक्षरे छः सौ बत्तीस रूपये नगद देकर खरीद का बिल प्राप्त किया जिस पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करने पर आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल (स्वास्तिक ब्राण्ड) 1 लीटर पैक** की 4 बोटलों को चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान, दिनांक, खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को प्रत्येक बोटल पर अलग–अलग चिपकाकर, प्रत्येक बोटल को अलग–अलग ब्राउन पेपर में लपेटकर पेपर के सिरो को गोंद से चिपकाकर, बोटलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर **H-1851** गोंद से नियमानुसार प्रत्येक बोटल पर चिपकाकर प्रत्येक बोटल को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह चपडी से सील मोहर करके चारों बोटलों पर यथास्थान विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द बोटलों को अपने कब्जे में लिया। फर्म पर मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक गोपाल लाल शर्मा ने बताया कि यह माल उसने बिल के जरिये फर्म–Best Price Modern Wholesale, Wal Mart India Pvt. Ltd A-82, Indraprastha Industrial Area, Jhalawar Road, Kota से खरीदा है जिसका बिल आवेदक को दिखाया व उसकी एक स्वप्रमाणित प्रति आवेदक को दी। मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसको पढकर, सुनकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नम्बर 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द बोटल एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियॉ एक लिफाफे में सील मोहरकर, आउटर कवर में सील बन्द बोटल व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा श्री गजानन्द लोधा वार्ड बॉय कार्यालय जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 27.08.2020 को मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर के यहां जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। बाकी बची नमूने की दो सील बन्द बोटल (ii व iii पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने की शेष एक सील बन्द बोटल (iv पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर दिनांक 26.08.2020 को स्वयं के द्वारा अभिहित

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/1441 दिनांक 16.09.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/1211/एक्ट/2020/1285 दिनांक 07.09.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य वस्तु डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल (स्वास्तिक ब्राण्ड) 1 लीटर पैक** अवमानक स्तर (Sub-Standard Food of FSSA 2006) प्रकृति का होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा अवमानक स्तर (Substandard) की खाद्य वस्तु **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल (स्वास्तिक ब्राण्ड) 1 लीटर पैक** का निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रकरण में दोषियो के विरूद्ध अधिक से अधिक जुर्माना आरोपित करने का निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा जवाब पेश किया गया तथा प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण द्वारा अवमानक (Substandard) **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल (स्वास्तिक ब्राण्ड) 1 लीटर पैक** का निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त पर अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त संख्या 1 ने पूर्व में दिये गये जबाव को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त की फर्म से **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल (स्वास्तिक ब्राण्ड) 1 लीटर पैक** का सेम्पल भरा गया था। जिसे जयपुर की प्रयोगशाला ने सबस्टेण्डर्ड माना है। अभियुक्त संख्या 1 ने **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल (स्वास्तिक ब्राण्ड)** विपक्षी संख्या 2 से जरिये बिल दिनांक 19.06.2020 इनवोईस नम्बर–0847131200009489 के सील पैक्ड हाल में खरीद किये गये थे जिसे बिना कोई परिवर्तन किये सील पैक अवस्था में ही ग्राहको को विक्रय किये। यदि उक्त बोतलों का नमूना प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट में अवमानक स्तर का पाया जाता है तो उसकी समस्त घटको, गुणवत्ता, लेबलिंग प्रकृति आदि की जिम्मेदारी मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी की बनती है। इसमें अभियुक्त संख्या एक का कोई दोष नहीं है। अन्त में अभियुक्त संख्या 1 ने प्रकरण में उनके विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

अभियुक्त संख्या 2 लगायत 4 ने पूर्व में दिये गये जबाव को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि संबंधित खाद्य उत्पाद/नमूना उत्तर देने वाले गैर आवेदको द्वारा निर्माता से आगे की बिक्री के लिये पूर्व लेबल फार्म में "जैसी है" स्थिति में प्राप्त किया गया था। उत्पाद की गुणवत्ता घटिया होने के लिए गैर–आवेदक जिम्मेदार नहीं है। यह निर्माता की एकमात्र जिम्मेदारी और दायित्व है। गैर–आवेदको को निर्माता के किसी कार्य या चूक, यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

जाना चाहिए। हमारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार हम प्री–पैक्ड उत्पाद खरीदते हैं और वहीं प्री–पैक्ड उत्पाद बेचते हैं। हम अपने स्टोर परिसर में किसी भी पहले से पैक किए गए उत्पाद को नहीं खोलते हैं और इसे अपनी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ढीली या किसी अन्य पैकेजिंग में परिवर्तित नहीं करते हैं। इस मामले में हमने केवल बोतल बेची है लेकिन लेख विवरण में सिस्टम त्रुटि के कारण इसे बिल में बोतल के बजाय थैली के रूप में मुद्रित किया गया है। यह केवल हमारी ओर से एक सिस्टम त्रुटि के कारण था क्योंकि हमने इस लेख को जारी किए गए इनवॉइस को बोतलबंद करने के बजाय पाउच के रूप में अपडेट किया है। उसके बाद हमने अपने सिस्टम में ठीक कर लिया है, और अब इस आइटम को केवल बोतल के रूप में बिल किया जा रहा है। अभियुक्त संख्या 2 लगायत 4 द्वारा अपनी उक्त बात के समर्थन में एक नमूना बिल (संशोधित चालान) पेश किया गया। अन्त में अभियुक्त संख्या 2 लगायत 4 ने प्रकरण में समस्त जिम्मेदारी निर्माता कम्पनी की होने के कारण अभियुक्त संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

अभियुक्त संख्या 5 लगायत 6 ने पूर्व में दिये गये जबाव को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि प्रकरण में जो जब्त की गयी है वो बोतल है जबकि प्रकरण में बेस्ट प्राइज वॉल मार्ट से जो खरीद करने का बिल दर्शाया गया है उसमें तथाकथित वस्तु को पाउच के रूप में दर्शाया गया है ऐसी स्थिति में पॉली पाउच और पेट बोतल दोनो बिलकुल भिन्न–भिन्न वस्तुएं होती है और भिन्न–भिन्न प्रकार की पैकेजिंग है ऐसी स्थिति में यह बनावटी दस्तावेज या बनावटी बिल आदि के आधार पर की गई मिलीभगत की कार्यवाही दर्शित हो रही है। अन्त में अभियुक्त संख्या 5 लगायत 6 द्वारा आधे अधूरे पक्षकारो और विधिविरूद्ध रूप से प्रस्तुत की गई कार्यवाही को खारिज करते हुए उन पर लगाये गये अभियोग से मुक्त करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/1211/एक्ट/2020/1285 दिनांक 07.09.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल (स्वास्तिक ब्राण्ड)** सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त संख्या 2 लगायत 4 द्वारा पेश किये गये नमूना बिल में दर्ज एच.एस.एन. कोड तथा आवेदक द्वारा पत्रावली में पेश किये गये बिल का एच.एस. एन. कोड एक ही है जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त संख्या 5 लगायत 6 द्वारा जो उत्पाद अभियुक्त संख्या 2 लगायत 4 को दिया गया है वे बोतल ही है जोकि अभियुक्त संख्या 2 लगायत 4 द्वारा अभियुक्त संख्या 1 को दिये गये बिल में त्रुटि के कारण बोतल के बजाय पाउच मुद्रित हुआ है। अतः अभियुक्त संख्या 5 लगायत 6 की यह दलील कि उनके द्वारा अभियुक्त संख्या 2 लगायत 4 को बोतल बेची थी तथा अभियुक्त संख्या 2 लगायत 4 द्वारा अभियुक्त संख्या 1 को पाउच बेचा है जो कि उनके द्वारा नहीं दिया गया है, मान्य नहीं है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल (स्वास्तिक ब्राण्ड)** का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 पर 10,000/–रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये), अभियुक्त संख्या 2 लगायत 4 पर संयुक्त रूप से 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) एवं अभियुक्त संख्या 5 लगायत 6 पर संयुक्त रूप से 40,000/–रू0 (अक्षरे चालीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर